

फार्म - इक्तालीस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[30प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-56(9) देखें]

जारीकर्ता प्राधिकारी से घोषणा पत्र प्राप्त करने वाले पंजीकृत डीलर द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप

अन्य प्रान्त के विक्रेता डीलर / पारेषक को फार्म जारी किये जाने का विवरण -

क्र०सं०	फार्म प्राप्त करने की तिथि	फार्म संख्या से	फार्म संख्या तक	फार्म की कुल संख्या	जिसे घोषणा पत्र जारी किया गया उस डीलर का नाम व पता	दिन	जारी फार्म संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

जारी करने की तिथि	माल का विवरण	मात्रा / परिमाण	माल का मूल्य	अन्य मामलों में टिप्पणी	डीलर के हस्ताक्षर	करनिर्धारण अधिकारी के हस्ताक्षर
9	10	11	12	13	14	15